निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 09/अपील/18 तारीख दायरा 06.02.2018

उनवान अपील

01. सोनू कुमार राठौर पुत्र रामगोपाल जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन
02. दुर्गाशंकर राठौर पुत्र रामगोपाल जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन
03. आशा राठौर पुत्री रामगोपाल जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन (अपीलान्ट्स)

बनाम

01. मनोहरबाई बेवा रामगोपाल जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन
02. जमना बाई पुत्री रामगोपाल पत्नि हेमराज जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन
03. सुनीता पुत्री रामगोपाल पत्नि नन्दकिशोर जाति तेली नि0 मंडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
04. प्रभूलाल आ0 डालूराम जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन
05. सीता पुत्री डालूराम पत्नि रामप्रसाद जाति तेली नि0 पशुपति नाथ पाटन
06. चन्द्रीबाई पुत्री डालूराम पत्नि राजाराम नि0 पिपलोद तहसील झालरापाटन
07. मोतिया बाई पुत्री डालूराम पत्नि मनोहर जाति तेली नि0 ढाबली कला तहसील झालरापाटन
08. कमला बाई पुत्री डालूराम पत्नि पुनमचन्द जाति तेली नि0 पिपलोद तहसील झालरापाटन
09. धूलीबाई बेवा डालूराम जाति तेली नि0 गिंदोर तहसील झालरापाटन
10. बालचन्द पुत्र मदनलाल जाति तेली नि0 धूंआखेडी तहसील मानपुरा जिला मन्दसौर
11. प्रेमचन्द पुत्र मदनलाल जाति तेली नि0 धुंआखेडी तहसील मानपुरा जिला मन्दसौर
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन जिला झालावाड़ (रेस्पो0)

अपील बनाराजी फैसला तहसीलदार झालरापाटन दिनांक 10.07.2014

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र रावल अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री धमेन्द्र शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 1 लगायत 11 की और से

–: निर्णय :– दिनांकः 20.03.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार झालरापाटन के आदेश दिनांक 10.07.2004 जिसके द्वारा ग्राम गिन्दोर की आराजी ख0न0 604 की 2 बीघा 10 बिस्वा,623/698 की 8 बिस्वा, 624 की 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 की 6 बीघा 10 बिस्वा आराजी का इन्तकाल न0 358 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अपीलान्ट्स के पिता का दिनांक 09.07.2002 को स्वर्गवास हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उनके फोत होने की रिपार्ट प्रस्तुत की गई व बगैर पूछताछ के गलत सजरा प्रस्तुत किया गया जिसमें मृतक के केवल एक लडका व तीन लडकियों होना बताया जबकि मृतक रामगोपाल के दो लडके दुर्गाशंकर व सोनू कुमार है इसी प्रकार तीन लडकियों में एक लडकी का नाम भूरी बाई बताया जबकि उसका सही नाम आशा राठोर है। वारीसान के नाम इन्तकाल में दर्ज होना आवश्यक है इन्तकाल दुरूस्त होने योग्य है। इन्तकाल 358 दिनांक 10.07.2004 खारिज किया जाकर नवीन इन्तकाल में समस्त वारिसान का नाम जोडने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 लगायत 11 की और से अभिभाषक श्री धमेन्द्र शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए उनकी और से जवाब प्रस्तुत किया जाकर विशेष आपत्तियों में व्यक्त किया कि पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत इन्तकाल खुला है इन्तकाल खारिज किया जाकर वारिसान का नाम जोडा जावे।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा ग्राम गिन्दोर की आराजी का दिनांक 10.07.2004 को तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 358 गलत तस्दीक किया गया है, अपीलान्ट्स के पिता का दिनांक 09.07.2002 को स्वर्गवास हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उनके फोत होने की रिपार्ट प्रस्तुत की गई व बगैर पूछताछ के गलत सजरा प्रस्तुत किया गया जिसमें मृतक के केवल एक लडका व तीन लडकियों होना बताया जबकि मृतक रामगोपाल के दो लडके दुर्गाशंकर व सोनू कुमार है इसी प्रकार तीन लडकियों में एक लडकी का नाम भूरी बाई बताया जबकि उसका सही नाम आशा राठोर है। वारीसान के नाम इन्तकाल में दर्ज होना आवश्यक है इन्तकाल दुरूस्त होने योग्य है। इन्तकाल 358 दिनांक 10.07.2004 खारिज किया जाकर नवीन इन्तकाल में समस्त वारिसान का नाम जोडा जावे। इस पर रेस्पो0 1 लगायत 11 के अभिभाषक द्वारा भी उक्त गलत तस्दीक किये गये इन्तकाल को खारिज कर नवीन इन्तकाल हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष से यह तो जाहिर है कि तत्समय हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया उसमें वारिसान के नाम गलत दर्ज हुआ है व एक पुत्र का नाम दर्ज ही नही किया गया। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल जेर अपील निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार झालरापाटन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे ग्राम गिन्दोर की आराजी ख0न0 604 की 2 बीघा 10 बिस्वा,623/698 की 8 बिस्वा, 624 की 3 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 की 6 बीघा 10 बिस्वा आराजी बाबत मृतक सह खातेदार रामगोपाल आ0 डालूराम के विधिक वारिसान की जानकारी विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर प्राप्त करें व उक्तानुसार नियमो के परिपेक्ष्य में नवीन इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालानार्थ तहसीलदार झालरापाटन को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड

जिला कलेक्टर
झालावाड़